न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/52 दायरा दिनांक : 28.03.2023

उनवान

मनोज कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द आयु 40 वर्ष जाति सुथार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कैलाशचन्द पुत्र भवानीशंकर जाति सुथार
2– ब्राह्मनन्द पुत्र भवानीशंकर जाति सुथार
3– विष्णु प्रसाद पुत्र भवानीशंकर जाति सुथार
4– नन्दकिशोर पुत्र भवानीशंकर जाति सुथार
5– धन्नालाल पुत्र भवानीशंकर जाति सुथार
6– ताराचन्द पुत्र कैलाशचन्द जाति सुथार
7– ममता कुमारी पत्नी ब्राह्मनन्द
निवासीगण रायपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड (राज0)
8– कांति बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी गोविन्द लाल जाति सुथार निवासी रायपुर हाल मुकाम चेचट तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा
9– शांति बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी सुरेशचन्द जाति सुथार निवासी रायपुर हाल मुकाम रेलवे स्टेशन के पास, मुख्य बाजार, श्यामगढ़, मध्यप्रदेश
10– इन्द्रा बाई पुत्री भवानी शंकर पत्नी लालचन्द जाति सुथार निवासी रायपुर हाल मुकाम सिन्दूरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड
निवासीगण अलोद तहसील हिण्डौली जिला बून्दी
11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री असलम अंसारी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बालचन्द दांगी व श्री राजेश कुमार सुथार रेस्पोडेंट कम 2, 3 व 7 एवं श्री बृजबिहारी गोचर रेस्पोडेंट नं. 8, 9, 10 की ओर से शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 29.11.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी पिडावा के प्रकरण संख्या – 73/2022/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, 92ए, 188, 209 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1,2 व धारा 151 सीपीसी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रायपुर तहसील पिडावा जमाबंदी सम्वत् 2049 से 2052 के अनुसार खाता संख्या नया 368 पुराना 250 में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुल खसरा किता 14 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा एवं खाता संख्या 521 कुल खसरा किता 05 रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा अर्थात् सम्पूर्ण आराजी 51 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2022 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था कि ग्राम रायपुर की जमाबंदी संख्या 2073–76 के खाता संख्या 152 की आराजी किता 4 रकबा 2.1752 हेक्टर व खाता संख्या 114 की आराजी खसरा संख्या 1760/1 रकबा 0.2529 हेक्टर भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखे। जिस पर दिनांक 24.01.2023 को 212 आरटीएक्ट पर इस प्रकार पुनः आदेश पारित किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रखने की स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होगी। अतः सुविधा का संतुलन रखने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

उक्त दावे में अपीलांट के दादा भवानीशंकर की जमाबंदी 2049–52 के अनुसार खाता संख्या नया 368 पुराना 250 ग्राम रायपुर तहसील पिडावा के अनुसार खातेदार भवानीशंकर पुत्र भैरूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा है। खातेदार भवानीशंकर पिता भैरूलाल की मृत्यु पश्चात् उनका विरासत नामान्तरण संख्या 1170 से भवानीशंकर जी एकल खातेदार की आराजी उनके वैध वारिसान पुत्र, पुत्रियों के नाम दर्ज हुई जिससे अपीलांट के पिता के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ तथा एक अन्य खाता भवानीशंकर, राजकुमार पुत्र भैरूलाल के खातेदारी में रहा जिसका रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा रहा जिसमें भवानीशंकर का 1/2 हिस्सा निहित रहा। अपीलांट के परिवार का सजरा इस प्रकार है :–

भवानीशंकर पिता भैरूलाल
नन्दकिशोर कैलाशचन्द धन्नालाल विष्णुप्रसाद ब्रह्मनन्द – पुत्र भवानीशंकर
कान्ति बाई शान्ति बाई इन्द्रा बाई – पुत्रियां भवानीशंकर
रामचन्द्र बाई – पत्नी (मृतक)

कैलाशचन्द के दो पुत्र अपीलांट मनोज कुमार व रेस्पोडेंट कम 6 ताराचंद है, पिता कैलाशचन्द की जायदाद में अपीलांट 1/3 हिस्से का हकदार है तथा व अपना हि हिस्सा संपूर्ण जायदाद कुल किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा खाता संख्या 368 संवत 2049 से 2052 के अनुसार तथा खाता संख्या 551 कुल खसरा 05 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा में अपीलांट का हिस्सा निहित है। संपूर्ण आराजी कुल खसरा 51 बीघा 6 बिस्वा कैलाशचन्द के 1/8 भाग में अपीलांट का 1/3 हिस्से का हक व हिस्सेदार है क्योंकि संपूर्ण आराजी पुश्तैनी है, अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकारी के तहत तक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिस्सा निहित है। अपीलांट के पिता कैलाशचन्द का दीमागी संतुलन पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रहा है तथा काफी भोले व सीधे व्यक्ति है उन्हें गलत तरीके से बरगलाकर उनके भोलेपन का फायदा उठाकार अन्य भाईयों व बहिनों द्वारा पारिवारिक बंटवारा करवाया व भाईयो, बहिनों द्वारा अच्छी भूमि को अपने हिस्से में लिया तथा अपीलांट के पिता को निम्न स्तर की भूमि बंटवारे में दी गयी जो गलत व त्रुटिपूर्ण है। बंटवारे से जो अलग अलग खाते हुए और जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए, उन्हे निरस्त किया जाना आवश्यक है। खाता संख्या 114 की आराजी खसरा नं. 1760/1 रकबा 0.2529 हेक्टर भूमि जो कि इन्द्राबाई, कांतिबाई व शांतिबाई पुत्रियां भवानीशंकर के नाम की गयी वह दोषपूर्ण है क्योंकि बहिनों का अलग से विभाजन नहीं करके अपीलांट के पिता की कृषि आराजी में से ही हिस्सा निहित किया गया जो कि दोषपूर्ण विभाजन था, बहिनों का हिस्सा सभी भाईयो की कृषि आराजी से करवाया जाना था जो नहीं किया गया। इसी उद्देश्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वाद लेकर आया था जिस पर यथास्थिति कायम की गयी थी लेकिन दिनांक 24.01.2023 को विधि अनुरूप आदेश नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानून का हनन किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट उक्त भूमि को बेचने पर आमदा है जबकि अपीलांट उक्त भूमि पर 30 वर्षों से काबिज है व काश्त कर रहा है, अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा दावे में अभी साक्ष्य आना बाकी हैं। ऐसी सूरत में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को ताफैसला अपील किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2023 को निरस्त फरमाये जावे तथा भूमि की मौका व रिकाड की यथास्थिति को बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता के हिस्से की जिस भूमि का विभाजन किया गया है इस भूमि का पूर्व में कान्ति बाई, इन्द्रा बाई द्वारा विष्णु प्रसाद पुत्र भवानी शंकर के नाम हकत्याग किया जा चुका है तथा उक्त हकत्याग का पंजीयन किया जा चुका है फिर भी उक्त भूमि को बंटवारे में शामिल किया गया तथा इसी भूमि को बेचने पर आमदा है, संभवतः बेच दी हो। प्रार्थी के पिता के हिस्से की जिस भूमि को दिया गया है उक्त भूमि का पूर्व में प्रार्थी के दादा के समय के बेचान का विवाद जेरकार है फिर भी उक्त भूमि को बंटवारे में प्रार्थी के पिता के नाम दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि दोषपूर्ण विभाजन हुआ है। संपूर्ण बंटवारे में रेस्पोडेंट कम 2 व 3 विष्णुप्रसाद व ब्रह्मनन्द जो कि बंटवारे में कमशः 4 व 5 पर आलेखित है इन्ही व्यक्तियों द्वारा अच्छी भूमि व मुख्य राजमार्ग की भूमि को बंटवारे में अपने नाम आलेखित करवाया है व विवादित मुख्य राजमार्ग से दूर व हकत्याग की हुई भूमि को प्रार्थी के पिता के नाम लिखा गया है। खसरा नं. 1766, 1765, 1764 की भूमि को बंटवारा कमशः अप्रार्थी कम 4 व 5 विष्णुप्रसाद व ब्रह्मनन्द को मुख्य राजमार्ग की भूमि प्राप्त की गयी है तथा बंटवारे में कमशः 1,2,3,4,5 नहीं करके 3,1,2,4,5 किया गया है जिससे मुख्य राजमार्ग की भूमियां विष्णुप्रसाद व ब्रह्मनन्द बंटवारा कम 4 व 5 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार विभाजन दोषपूर्ण रहा है व बंटवारे मं अच्छी भूमियों को ब्रह्मनन्द व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विष्णुप्रसाद द्वारा प्राप्त किया गया है तथा विवादित हकत्याग व मुख्य मार्ग से दूर भूमि को प्रार्थी के पिता को दिया गया है। इस हेतु साक्ष्य आना बाकी है व प्रार्थी अपने हक से मेहरूम न हो जाये इस कारण से मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार कर विवादित आराजी की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 2, 3 व 7 के द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 51 बीघा 6 बिस्वा का बंटवारा आपसी सहमति से न्यायालय तहसीलदार के समक्ष हो चुका है। यह बंटवारा दिनांक 18.08.2015 को ही हो चुका था। सक्षम न्यायालय के बंटवारा आदेश की पालना में दिनांक 07.09.2015 को नामान्तकरण संख्या 2837 तस्दीक होकर आराजी अलग–अलग खाते दर्ज होकर नियमानुसार पक्षकारान के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी है। इस बंटवारे को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं हुआ है और ना है। जहां तक सुविधओं का संतुलन का प्रश्न है इस संबंध में रेस्पोडेंट का निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पोडेंट/अप्रार्थी कम 1 दोनों का पिता पुत्र का रिश्ता है और दोनों द्वारा एक मत होकर दुरभिसंधी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पोडेंट कम 1 आराजी का रेकार्डेड खातेदार बन चुका है और रेस्पोडेंट कम 2 व 7 में प्रार्थी/अपीलांट का प्रथम दृष्टया कोई हक स्पष्ट नहीं होता है इसलिए सुविधाओं का संतुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में नहीं है। तहसीलदार के समक्ष हुए बंटवारे आदेश से हुए हिस्सों की जमीन पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की सूरत में प्रार्थी/अपीलांट के बजाये रेस्पोडेंट कम 2 व 7 को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग, उपभोग में असुविधा होकर अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी/अपीलांट को अपना हिस्सा प्राप्त करना भी हो तो उसका अप्रार्थी/रेस्पोडेंट कम 2 व 7 से कोई सरोकार नहीं है। आज से 7 वर्षों से अधिक समय पूर्व तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से समस्त पक्षकारान विशेष तौर पर रेस्पोडेंट कम 1 अपने हिस्से आराजी का रेकार्डेड खातेदार बन चुके है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के सूरत में वाद लम्बी अवधी तक चलने से दौरान रेकार्डेड भूमि का रेस्पोडेंट कम 2 व 7 नियमानुसार संपूर्ण उपयोग उपभोग नहीं कर सकेंगे जिससे रेस्पों कम 2 व 7 को अपूरणीय हानि व क्षति हो जायेगी। प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई ठोस आधार नही है। प्रार्थी/अपीलांट ने दुर्भावना से व रेस्पोडेंट को परेशान करने व हानि पंहुचाने के लिए उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा झालावाड़ के यहां दावा किया है जो अभी अवश्य ही खारिज होगा। अतः मा0 अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2023 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 8, 9 व 10 के द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी भवानीशंकर के नाम दर्ज थी जिसका विधिवत् बंटवारा होकर पृथक–पृथक खाते में दर्ज हो गयी और अपीलांट का संपूर्ण आराजी में हिस्सा ना होकर मात्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसके पिता कैलाश चन्द्र को बंटवारे में प्राप्त हुई आराजी में से है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित हो चुका है कि दिनांक 18.08.2015 को अपीलांट के मध्य आपसी सहमति से विधिवत् रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ है जिसका नामान्तरण 2837 तस्दीक होकर सभी अपीलांट के पृथक–पृथक खाते दर्ज हुयी है तथा अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट कम 1 कैलाशचन्द अपना हिस्सा भी दीगर व्यक्तियों को बेचान कर चुके है इस कारण अपीलांट रेस्पोडेंट की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा अपीलांट रेस्पोडेंट का वारिस ही नहीं है, वह कैलाश चन्द का वारिस है तथा उसकी कृषि भूमि में ही अपीलांट के हक हकूक है। दिनांक 18.08.2015 को रजिस्टर्ड बंटवारा किये जाते समय अपीलांट बालिग रहा है लेकिन बवक्त बंटवारा अपीलांट व उसके पिता ने कोई आपत्ति नहीं करवायी है तथा अब मात्र अपने पिता से दुरभिसंधी कर विचारण न्यायालय समक्ष दावा प्रस्तुत कर दिया जो पूर्णतया सारहीन है। अपीलांट ने अपने पिता कैलाशचन्द रेस्पोडेंट कम 1 की मानसिक स्थिति का आधार लेने का आजकल प्रयास किया है किन्तु पिता की मानसिक असंतुलन की स्थिति से संबंधित एक मात्र दस्तावेज भी विचारण अथवा मा. न्यायालय में प्रस्तुत नही किया इस कारण अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा आपसी सहमति से न्यायालय तहसीलदार के समक्ष हो चुका है जो दिनांक 18.08.2015 को हो चुका था तथा उक्त बंटवारा की पालना में दिनांक 07.09.2015 को नामान्तरण संख्या 2837 तस्दीक होकर पृथक–पृथक आराजी दर्ज हो चुकी है तथा उक्त बंटवारा को किसी भी न्यायालय मे चुनोती नहीं दी गयी है तथा अपीलांट रेस्पोडेंट कम 5, 8, 9, 10 का वारिस भी नहीं है। इस का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में अपीलांट असफल रहा है तथा रेस्पोडेंट कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट कम 5, 8, 9, 10 के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति रेस्पोडेंट कम 5, 8, 9, 10 को होगी क्योंकि 7 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे से समस्त रेस्पोडेंट अपने अपने हिस्से के रिकार्डेड खातेदार बन चुके है तथा काबिज काश्त चले आ रहे है। अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित विधि के सारभूत तीनों बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध होने से विचारण मा0 न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में लेश मात्र की त्रुटि नहीं की है। तथा उक्त आदेशों में अवैधता नहीं होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 88,53,91,92ए,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 एल.आर.एक्ट के तहत् दावा प्रस्तुत कर मूल दावे के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी के सहखातेदार अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को अन्तरण, हस्तांतरण, दान–बेचान, वसीयत नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.01.2023 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट है कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा, किता 5 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 51 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बंटवारा आपसी सहमति से न्यायालय तहसीलदार के समक्ष हो चुका है, जो कि दिनांक 18.08.2015 को ही हो चुका था एवं सक्षम न्यायालय तहसीलदार के बंटवारा आदेश की पालना में दिनांक 07.09.2015 को नामांतरण संख्या 2837 तस्दीक होकर आराजी अलग–अलग खाते में दर्ज होकर नियमानुसार पक्षकारान के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त बंटवारे को प्रार्थी एवं अन्य पक्षकारान द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी गयी। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 का प्रार्थी वारिस भी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार के आदेश से हुए बंटवारे के फलस्वरूप अप्रार्थीगण आज दिनांक तक गत 7 वर्षों से विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से वाद चलने के लम्बे समय के दौरान रिकार्डेड खातेदार भूमि का नियमानुसार सम्पूर्ण उपभोग नहीं कर पायेंगे जिससे रिकार्डेड खातेदारों (अप्रार्थीगण) को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः सुविधाओं को संतुलित रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 2,3,7, एवं 8,9,10 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसका आपसी सहमति से बंटवारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष दिनांक 18.08.2015 को हो चुका है। सक्षम न्यायालय के बंटवारा आदेश की पालना में दिनांक 07.09.2015 को नामान्तरण संख्या 2837 तस्दीक होकर विवादित आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर पक्षकारान के नाम दर्ज रेकार्ड है। अपीलांट द्वारा उक्त बंटवारे को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 1 आपस में पिता–पुत्र है। वैधानिक रूप से अपीलांट को वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति में अपने पिता के हिस्से दर्ज आराजी में ही हक व अधिकार प्राप्त होंगे, जिसका निर्धारण मूल वाद के निर्णय से होगा। विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट वैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2023 विधिसम्मत होने से यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा